आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–41 / 2022

राहुल कुमार

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
10.04.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3007 / 2020 में दिनांक 28.02.2020 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी 25 / 2015 में दिनांक–15.10.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 28.02.2020 में अंकित है किः– **" These aspects be stated by the petitioner before the revisional authority, who shall dispose of the revision petition, if filed within a period of thirty days from today. In case the petitioner succeeds and the order of cancellation set aside, the petitioner would be at liberty to make necessary application for renewal of his license under the Bihar Targeted P.D.S. (Control) order, 2016."** माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर सुनवाई प्रारंभ की गई। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सुनवाई के दौरान विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुजफ्फरपुर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 28.02.2020 को आदेश पारित किया गया है एवं 30 दिनों के अंदर इस न्यायालय में वाद दायर करने का निदेश दिया गया है। परन्तु पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के 02 वर्ष बाद वाद दायर किया है, इसलिए इसे खारिज करने का अनुरोध किया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के वाद संख्या–25/2015 में दिनांक–15.10.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3007/2020 में दिनांक 28.02.2020 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेश दिनांक–28.02.2020 में पुनरीक्षणकर्ता को 30 दिनों के अंदर वाद दायर करने का निदेश दिया। परन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 21.02.2022 को वाद दायर किया गया है, जो की अप्रत्याशित विलंब है। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में दिनांक 21.02.2022 को वाद दायर किया गया परन्तु उसके साथ विलंब क्षांत करने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया। उसके बाद दिनांक–07.03.2022 को इस न्यायालय में विलंब क्षांत करने हेतु आवेदन दिया गया। विलंब क्षांत करने हेतु दिये गये आवेदन में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोविड–19 एवं स्वयं (पुनरीक्षणकर्ता) के स्वास्थ्य कारणों को बताया है परन्तु पुनरीक्षणकता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने इस दावे के समर्थन मे विलंब क्षांत करने का कोई तथ्य आधारित साक्ष्य (चिकित्सीय पूर्जा) नही दिया गया और न ही वाद दायर करने मे हुए विलंब का कोई संतोषप्रद जबाब पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया जा सका।

WEB COPY NOT OFFICIAL

Indian Limitation Act मे स्पष्ट रुप से उल्लेख है कि अपील वाद दायर करने मे हुए विलंब का अनावश्यक लाभ देने पर दूसरे पक्ष को हानि होने की संभावना बनी रहती है एवं नैसर्गिक न्याय के तहत सभी को समान मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए वाद दायर करने मे हुए विलंब का साक्ष्य आधारित तथ्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही इससे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का भी अनुपालन नहीं करने का मामला बनता है।

अतः प्रस्तुत रिविजनवाद को उपरोक्त कारणो से Time barred (कालबाधित) एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL